# दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि) 508/2014

**निर्णय तिथि: 24 जनवरी, 2014**

भारत संघ व अन्य ..... याचीगण

द्वारा: श्री राजिंदर निश्चल सह श्री आशीष निश्चल अधिवक्तागण

बनाम

सैकत रॉय ..... उत्तरदाता

द्वारा: श्री सौरभ भार्गवन और सुश्री सुरेखा भार्गवन, अधिवक्तागण।

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल,**

**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा**

**<u>न्या. गीता मित्तल (मौखिक)</u>**

**<u>केवियट सं. 71/2014</u>**

प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के माध्यम से किया गया।

तदनुसार केवियट खारिज की जाती है।

**<u>सि.वि.सं.1008/2014 (छूट के लिए)</u>**

छूट उचित अपवादों के अधीन दी जाती है।

आवेदन का निपटान किया जाता है।

**<u>रि.या. (सि) 508/2014 और सि.वि.सं. 1007/2014 (रोक के लिए)</u>**

1. याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित मू.आ. सं. 2078/2012 में दिनांक 12 अगस्त, 2013 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है। मामले का तथ्यात्मक सार निर्विवाद है। प्रत्यर्थी ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जूनियर जियोलॉजिस्ट समूह 'ए' के पद पर चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को 20 जनवरी, 2011 को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। चिकित्सा बोर्ड ने प्रत्यर्थी की जांच करने के बाद उसे लेसिक सर्जरी कराने के आधार पर 'अयोग्य' घोषित कर दिया।

2. इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष दिनांक 28 फरवरी, 2012 को एक आदेश पारित किया, जिसका प्रभावी भाग निम्नलिखित है:

"2. शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमों में यह प्रावधान है कि जियोलॉजिस्ट के पद के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अपील का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, आप प्रथम बोर्ड के निर्णय में त्रुटि की संभावना के बारे में साक्ष्य के साथ सरकार के समक्ष अपील कर सकते हैं। साक्ष्य में चिकित्सक द्वारा इस आशय का नोट शामिल होना चाहिए कि उसे इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

3. आपसे अनुरोध है कि इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करें। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो द्वितीय मेडिकल में अपील के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

3. प्रत्यर्थी ने मू.आ. सं. 2078/2012 के माध्यम से अपने आदेश पर प्रश्न उठाया, जिसमें कहा गया कि उसने अपनी दृष्टि के सुधार के लिए लेसिक सर्जरी करवाई थी, जिसे अयोग्यता नहीं कहा जा सकता और परिणामस्वरूप उसे विवादित पद के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

4. यह विवादित नहीं है कि न तो उक्त पद के लिए भर्ती नियम और न ही विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया है कि दृष्टि के सुधार के लिए लेसिक सर्जरी को जूनियर जियोलॉजिस्ट, ग्रुप 'ए' के पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इसी मुद्दे पर विचार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा दिनांक 2 सितंबर, 2011 को पारित आदेश सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया। इस सूचना में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 18 अगस्त, 2011 को केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता में हुई आम सहमति का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लेसिक सर्जरी कराने वाले किसी भी अभ्यर्थी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इस सूचना में यह भी कहा गया है कि यदि खान मंत्रालय अनुमोदन करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्यालयों/परियोजनाओं में से किसी एक में प्रभावी रूप से तैनात किया जा सकता है:

1. समुद्री सर्वेक्षण/या

2. प्रयोगशाला संबंधी कार्य।

6. जूनियर जियोलॉजिस्ट के पद के लिए लेसिक सर्जरी कराने वाले एक अभ्यर्थी की फिटनेस का मुद्दा भी इस न्यायलय के समक्ष **सुश्री श्रीजा के. बनाम भारत संघ व अन्य** अर्थात रि.या.(सि) सं. 3196/2012 मामले में पिछली रिट याचिका में विचार हेतु उठा था। उस मामले में जूनियर जियोलॉजिस्ट के पद के लिए याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता तब रद्द कर दी गई थी, जब मेडिकल बोर्ड ने 'हाई मायोपिया' के कारण उसे 'अनफिट' घोषित कर दिया था। याचिकाकर्ता ने 2 सितंबर, 2011 के उपरोक्त आदेश पर भरोसा किया। मामले पर विचार करने के बाद, 29 मई, 2012 के निर्णय में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:

> 7. हम यह नहीं समझ पाए कि मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता को अयोग्य कैसे घोषित किया। वास्तव में, ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि लेसिक सर्जरी करवाने वाले व्यक्ति को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जूनियर जियोलॉजिस्ट के पद के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली को जारी दिनांक 02.09.2011 के पत्र का उद्धरण दिया, जिसमें दर्शाया गया था

कि दिनांक 18.08.2011 को केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के पश्चात, इस आशय की आम सहमति बनी थी कि लेसिक सर्जरी करवाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, उसी पत्र में यह भी कहा गया कि यदि खान मंत्रालय स्वीकृति देता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्यालयों/परियोजनाओं में से किसी एक में प्रभावी रूप से तैनात किया जा सकता है:-

1) समुद्री सर्वेक्षण/या

2) प्रयोगशाला संबंधी कार्य

12. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ***दीपक कुमार बनाम भारत संघ: रि.या.(सि) सं. 13159/2009*** के मामले पर भरोसा किया है जिसका निर्णय 23.09.2010 को हुआ था। हालांकि, उक्त निर्णय को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि यह स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि उस मामले में याचिकाकर्ता अपनी फिटनेस का आकलन करने के लिए आयोजित दोनों चिकित्सा परीक्षाओं में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहा था। वर्तमान मामले में, हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ

तक दूसरी चिकित्सा परीक्षा का सवाल है, परीक्षण के परिणाम से संकेत मिलता है कि वह उक्त विनियमन के तहत निर्धारित मापदंडों के भीतर आती है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस दूसरे निर्णय का उल्लेख किया गया, वह ***भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व अन्य बनाम श्रीमती शशि गुप्ता: एआईआर 1994 एससी 1241*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय था। हालांकि, वह मामला भी अलग है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी की चिकित्सकीय जांच की गई थी और उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया था। लेकिन, वर्तमान मामले में, परीक्षण के परिणाम निर्धारित मापदंडों के भीतर होने के बावजूद, दूसरे मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता को लैसिक सर्जरी के कारण अयोग्य माना, जबकि किसी भी नियम, विनियमन, उप-कानून या आदेश में ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से दृष्टि सुधार पर कोई रोक नहीं थी। तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्न हैं और इसलिए लागू नियम आदि भी भिन्न हैं। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले के तथ्य पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है और प्रत्यर्थीगण के लिए कोई सहायता नहीं करता है।

13. उपर्युक्त को देखते हुए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को खारिज करने में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश गलत था। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से फिट मानते हुए जूनियर जियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करें और ऐसा दो सप्ताह के भीतर किया जाए।"

(जोर दिया गया)

7. प्रत्यर्थी ने अपनी चुनौती के समर्थन में मू.आ. सं. 2078/2012 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 12 अगस्त, 2013 के निर्णय पर भी भरोसा किया है। वर्तमान प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 11 जून, 2012 को मू.आ. सं 74/2012 अर्थात ***श्री अंजनजौती डैका बनाम भारत संघ व अन्य*** के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसमें तथ्य और परिस्थितियां ***सुश्री श्रीजा के.*** (पूर्वोक्त) के मामले के समान थी, जिसे दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिससे विधि का प्रश्न अनिर्णीत रह गया था।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा ***सुश्री श्रीजा के. (पूर्वोक्त)*** में पारित आदेश को एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। दिनांक 12 अगस्त, 2013 के आक्षेपित आदेश में न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया है कि ***श्रीजा के.*** (पूर्वोक्त) के मामले में वि.अनु.या. बिना किसी रोक के लंबित है, तथा न्याय के हित में निर्देश दिया है कि प्रत्यर्थी को अन्य दो आवेदकों के समान ही माना जाए। प्रत्यर्थी के आवेदन को इस निर्देश के साथ अनुमति दी गई कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ मानते हुए जूनियर जियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु उसके मामले पर विचार करें। हालांकि, प्रत्यर्थी की नियुक्ति ***श्रीजा के.*** (पूर्वोक्त) के मामले में वि.अनु.या. के परिणाम के अधीन होगी।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आज एक केवियट के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19 अगस्त, 2013 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है, जिसके तहत वि.अनु.या. (सिविल) सं. 33451/2012 अर्थात ***भारत संघ व अन्य बनाम श्रीजा के.*** मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने 12 अक्टूबर, 2012 को ही उसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिया था। इस घटनाक्रम को देखते हुए,

वि.अनु.या. को विधि के प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ते हुए खारिज कर दिया गया।

10. हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भर्ती नियमों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि दृष्टि सुधार के लिए लेसिक सर्जरी करवाने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। प्रत्यर्थी की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने उसकी दृष्टि तीक्ष्णता में कोई कमी नहीं पाई है। प्रत्यर्थी निर्धारित दृष्टि मानदंड को पूरा करता है। उसे अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह तथ्य था कि उसने सुधारात्मक लेसिक सर्जरी करवाई थी। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि नियम या विनियमन में किसी निर्देश के अभाव में, केवल यह तथ्य कि व्यक्ति ने सुधारात्मक सर्जरी करवाई है, उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप अभ्यर्थी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11. इन सभी कारणों से, हमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

**न्या. गीता मित्तल**

**न्या. दीपा शर्मा**

**24 जनवरी, 2014**
आरबी

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*